

का० ज्ञा० सं० II/21034/3/98-रा०भा० (नीति-2), दिनांक 18.3.1998

विषय:— विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों में गैर-सरकारी सदस्य नामित करने के लिए सूची तैयार करना।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को हिन्दी सलाहकार समिति में राजभाषा विभाग की ओर से तीन-तीन गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने का प्रावधान है। इन गैर-सरकारी सदस्यों की योग्यता मुख्य रूप से निम्न प्रकार होनी चाहिए:—

1. किसी मंत्रालय/विभाग द्वारा निष्पादित विषय तथा उसके कार्यक्षेत्र का अच्छा एवं पर्याप्त परिचय या ज्ञान, और

2. राजभाषा हिन्दी में लेखन या/प्रचार-प्रसार या/प्रकाशन या/और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से निष्ठा के साथ जुड़े हुए हों।

2. उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी के विद्वानों की एक अद्यतन कम्प्यूटरीकृत सूची तैयार की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि यदि आप किसी हिन्दी सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्य नामित होना चाहते हैं तो संलग्न प्रपत्र में मांगी गई सूचना के अनुसार अपना जीवन-वृत्त दिनांक 20.4.98 तक हमें भेज दें ताकि आपको इस सूची में रखने पर विचार हो सके।

जीवन-वृत्त

1. नाम :
2. पता :
3. हिन्दी में शैक्षणिक योग्यता :
4. हिन्दी में किए गए कार्यों का विवरण :
5. यदि किसी हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य हों तो उसका विवरण :
6. यदि हिन्दी के प्रचार-प्रसार से जुड़े किसी अखिल भारतीय संस्था के सदस्य हों तो अपना पदनाम सहित उसका विवरण :
7. वर्तमान व्यवसाय :

हस्ताक्षर